vè;k; 3

ykHkkÆFk;ksa dh igpku djuk vkSj jk'ku dkMZ tkjh djuk

3-1 tula[;k dh jkT;&okj dojst

एन.एफ.एस.ए. की धारा 10 (1) (ख) के अनुसार, राज्य द्वारा पात्र परिवारों/इकाईयों की पहचान, एन.एफ.एस.ए. शुरु होने के 365 दिन के अन्दर पूरी की जानी थी। ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों द्वारा योजना पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार तथा शेष परिवारों की पहचान प्राथमिकता परिवारों के रुप में संबंधित राज्यों/सं.रा. सरकारों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी थी। एन.एफ.एस.ए. में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी लोगों की क्रमशः 75 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत कवरेज का प्रावधान है, जिसके अनुसार राज्य–वार कवरेज योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी।

निम्नलिखित चार्ट ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या की कवरेज को तथा अन्तोदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) तथा प्राथमिकता परिवारों की श्रेणियों मे लाभभोगियों की पहचान को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के दिशानिर्देशों के अनुसार उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता है :

pkVZ 2& tula[;k dh dojst rFkk ,u-,Q-,l-,- ds vUrxZr bldh igpku

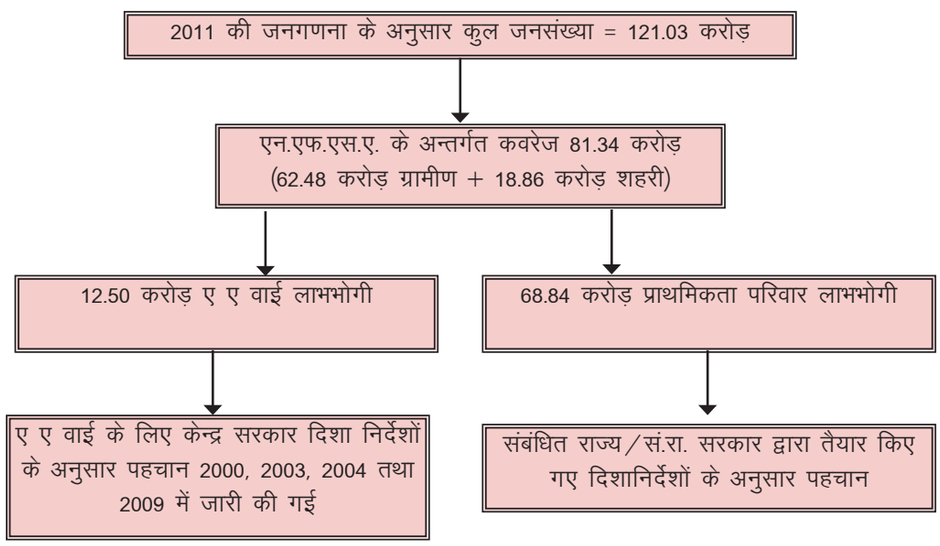

3-2 igpku dh fLFkfr

निम्नलिखित तालिका में उन राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों की सूची दी गई है जिन्हें उनके द्वारा सूचित लाभभोगियों की पहचान और अन्य प्रारंभिक क्रियाकलापों के समापन के आधार पर एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत खाद्यान्न आवंटित किए गए थे;

rkfydk 3% jkT;ksa }kjk ,u-,Q-,l-,- vuqikyu dh fLFkfr ¼väwcj 2015½

Ø- l-	jkT;@l-jk- {ks= dk uke	ft l eghus l s dk;kZUo;u vkjEHk gqvk
1.	हरियाणा	सितम्बर, 2013
2.	राजस्थान	अक्तूबर, 2013
3.	दिल्ली	अक्तूबर, 2013
4.	हिमाचल प्रदेश	अक्तूबर, 2013
5.	पंजाब	दिसम्बर, 2013
6.	कर्नाटक	जनवरी, 2014
7.	छत्तीसगढ़	जनवरी, 2014
8.	महाराष्ट्र	फरवरी, 2014
9.	चण्डीगढ़	फरवरी, 2014
10.	मध्य प्रदेश	मार्च, 2014
11.	बिहार	मार्च, 2014
12.	पश्चिम बंगाल	जून, 2015
13.	लक्षद्वीप	अगस्त, 2015
14.	त्रिपुरा	सितम्बर, 2015
15.	पुदुचेरी	सितम्बर, 2015
16.	उत्तराखण्ड	अक्तूबर, 2015
17.	झारखण्ड	अक्तूबर, 2015
18.	तेलंगाना	अक्तूबर, 2015

स्रोतः मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा :

एन.एफ.एस.ए. अधिनियम के अनुसार राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों से पात्र परिवारों की 365 दिनों के अन्दर पहचान की जानी अपेक्षित थी। एन.एफ.एस.ए. ने यह भी निर्धारित किया कि राज्य सरकार उन परिवारों की पहचान पूरी होने तक टी पी डी एस के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से खाद्यान्न का आबंटन प्राप्त करती रहेगी। यह देखा गया था कि कुल 36 राज्यों/सं रा. क्षेत्रों में से,

- केवल 11[7] राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों ने 365 दिन की निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पात्र परिवारों की पहचान सूचित की तथा सितम्बर 2013 – मार्च 2014 के दौरान एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत खाद्यान्न ले रहे थे;
- सात[8] और राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों ने कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों ने कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों का आंकड़ा 18 लेते हुए जून–अक्तूबर 2015 के दौरान एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पात्र परिवारों की पहचान सूचित की थी।
- कुल मिलाकर, देश में 51 प्रतिशत योग्य लाभभोगियों की पहचान कर ली गई थी और 49 प्रतिशत लाभभोगियों की पहचान अभी की जानी थी ¼vuqcaèk 3-1½ जैसा कि चार्ट 3 में दर्शाया गया है।

यह भी देखा गया था कि उपर्युक्त 18 राज्यों में से आठ राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों[9] ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत कवरेज हेतु पहचान पूर्णतः पूर्ण कर ली थी। तथापि, यह देखागया था कि 10 राज्यों/सं रा. क्षेत्रों[10] के मामले में एन.एफ.एस.ए. लागू की गई थी हालांकि इन राज्यों ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत अपेक्षित संख्या में लाभभोगियों की पहचान पूरी नहीं की थी। इन 10 राज्यों/सं रा. क्षेत्रों में कुल 2621.29 लाख लाभभोगियों के प्रति, केवल 2077.88 लाख लाभभोगियों की पहचान की गई थी। इसके परिणामस्वरुप एन एस एस ए के अन्तर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न का लाभ 543.41 लाख लक्षित लाभभोगियों को उनकी पहचान न होने के कारण नहीं मिला।

18 राज्यों/सं. रा. राज्यों के लिए, जिन्होंने पहचान का समापन सूचित नहीं किया था, मंत्रालय ने कार्यान्वयन हेतु समय–सीमा तीन बार बढ़ाई थी जो अन्त में सितम्बर, 2015 कर दी गई थी।

मंत्रालय ने बताया कि लाभार्थियों की अपूर्ण पहचान वाले राज्य/सं.शा.क्षे. में एन.एफ.एस.ए. द्वारा एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन को नहीं रोका गया था। ऐसे राज्यों में आंशिक कवरेज को स्वीकृत करते हुए, कम से कम ऐसे पहचान किए गए लोग एन.एफ.एस.ए. की परिधि के अंतर्गत आए थे तथा शीघ्र ही एन.एफ.एस.ए. का लाभ उठाया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.एफ.एस.ए. की धारा 10(1)(ख) के अंतर्गत, जब तक ऐसे परिवारों की पहचान पूरी होती है तब तक राज्य सरकार मौजूदा लक्षित लोक

[7]बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान।

[8] त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप।

[9]छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड।

[10]बिहार, चंडीगढ़,दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश ,पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुदुचेरी।

संवितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार से खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त करती रहेगी। इस प्रकार, एन.एफ.एस.ए. स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए लाभभोगियों की पहचान की जानी आवश्यक है।

3-3 ykxw u djus okys jkT;ksa@la-jk- jkT;ksa }kjk ,u-,Q-,l-,- ds dk;kZUo;u esa foyEc

एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा में एक विश्लेषण किया गया था। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत आवंटन हेतु अर्हक न होने वाले राज्यों में एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन न होने के लिए निम्नलिखित कारणों का पता चला :

i) मंत्रालय ने सूचित किया था कि राज्य/सं. रा. क्षेत्र, यदि चाहें तो प्राथमिकता परिवारों की श्रेणी में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एस ई सी सी) डॉटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रावधान विभिन्न केन्द्र सरकार कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए ग्रामीण तथा शहरी पात्रता और हकदारी का निर्धारण करने के लिए 2011 से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समन्वित की जा रही चालू एस ई सी सी को ध्यान में रख कर किया गया था। तथापि, एस ई सी सी 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य जुलाई 2013 तक पूरा नहीं हुआ था। एस ई सी सी सर्वेक्षण रिपोर्ट को अभी अन्तिम रुप दिया जाना था (नवम्बर 2015)। यह देखा गया था कि उत्तर प्रदेश तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों ने उल्लेख किया कि विलम्ब एस ई सी सी के अन्तर्गत आंकड़ो को अन्तिम रुप न देने के कारण था।

ii) गुजरात ने एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन में विलम्ब का कारण 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या तथा एस ई सी सी के आंकड़ों में अन्तर बताया।

iii) उड़ीसा द्वारा इसका एक कारण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डाटा प्राप्त करने में विलम्ब बताया गया था।

iv) अवसंरचना सुविधाओं के अभाव, अपर्याप्त निधियों तथा मानव शक्ति के कारण एन.एफ.एस.ए. अरूणांचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम तथा नागालैंड में कार्यान्वित नहीं किया जा सका। ये मुद्दे राज्यों द्वारा बिल बनाने के दौरान तथा एन.एफ.एस.ए. के लागू होने के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर मंत्रालय के साथ उठाए गए थे। तथापि, इन मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं हुआ था।

v) आन्ध्रप्रदेश ने विलम्ब का कारण, राज्य का विभाजन बताया।

vi) दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, गोवा, जम्मू व कश्मीर, केरल तथा तमिलनाडु ने सूचित किया कि प्रारम्भिक उपाय किए जा रहे थे।

vii) लेखापरीक्षा ने देखा कि पात्र लाभभोगियों को अंकीकरण पूरा न होने के कारण असम में कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने बताया कि पहचान की जिम्मेदारी राज्यों की थी। प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान हेतु मानदंड को रूप देने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी। यह एस.ई.सी.सी. या केन्द्र सरकार के किसी अन्य दिशानिर्देशों से संबद्ध नहीं था। एक बार राज्य द्वारा मानदंड को निर्धारित कर लिया गया है, उसे अपने द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों की वास्तविक पहचान निर्धारित करनी होगी। वह इस उद्देश्य के लिए एस.ई.सी.सी. या किसी अन्य विश्वसनीय डाटा का उपयोग कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011 में एन.एफ.एस.ए. को लागू करने से पूर्व कई राज्यों ने लाभार्थियों की पहचान के मुद्दे को एक प्रमुख बाधा के रूप में उठाया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एस.ई.सी.सी. के अंतर्गत संग्रहित डाटा में सामाजिक–आर्थिक संकेतकों की संख्या के बारे में सूचना होगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि राज्यों, विशेषज्ञों एवं सिविल सोसाइटी के परामर्श सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं योजना आयोग खाद्य सुरक्षा बिल के प्रावधानों से मेल पर सहमत कार्यप्रणाली पर सहमति होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई गरीब परिवार कवरेज से अपवर्जित न हो। हालांकि, मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. अपने स्वयं के दिशानिर्देशों/मानदंड का निर्माण स्वीकृत करेंगे। इससे कार्यान्वयन में विलंब हुआ क्योंकि कई राज्य एस.ई.सी.सी. के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।

3-4 ykHkHkkfx;k dh igpku gsrq le; dk vfu;fer foLrkj

एन.एफ.एस.ए. की धारा 10 (1) के अनुसार, राज्य सरकारों को एन.एफ.एस.ए. के शुरु होने से एक वर्ष के अन्दर अर्थात 4 जुलाई 2014 तक पात्र परिवारों की पहचान करनी थी। तथापि, यह देखा गया था कि केवल 11राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों में निर्धारित एक वर्ष के अन्दर इस प्रारम्भिक कार्य का समापन सूचित किया था। मंत्रालय ने बाद में जून 2014 में यह समय सीमा तीन महीने तक बढ़ा दी थी। चूंकि अन्य किसी भी राज्य ने विस्तारित अवधि के दौरान लाभभोगियों की पहचान पूर्ण करने के संबंध में सूचित नहीं किया था, अतः इसे पुनः छः माह की और अवधि हेतु 30 सितम्बर 2015 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एन.एफ.एस.ए. में बिना किसी अधिकृत प्रावधान के मंत्रालय ने लाभभोगियों की पहचान हेतु समय–सीमा बढ़ा दी, जो अनियमित था।

मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न कारणों जैसे कि संपूर्ण डाटा की गैर–उपलब्धता, सर्वेक्षण/सत्यापन संचालित करने के लिए लिया गया समय, एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन हेतु वांछित प्रारंभिक गतिविधियों का पूर्ण होने आदि के कारण पात्र परिवारों की पहचान में विलंब हुए। अतः एन.एफ.एस.ए. राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्रारंभिक गतिविधियों की संतोषजनक समापन तथा इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए समय–सीमा में वृद्धि के लिए निर्णय लिया गया था।

2015 dh ifronu l- 54

मंत्रालय ने आगे बताया कि नवम्बर 2015 तक एन.एफ.एस.ए. को 23 राज्यों/सं.शा. क्षे. में कार्यान्वित किया जा रहा था तथा जब से एन.एफ.एस.ए. की शुरूआत हुई है काफी समय बीत चुका है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा ताकि एन.एफ.एस.ए. को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार के आगे हुए विलंब की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित राज्य/सं.शा. क्षे. की होगी।

एन.एफ.एस.ए. के पास समय की वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि,एन.एफ.एस.ए. की धारा 42(I) निर्धारित करती है कि यदि एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो केन्द्र सरकार आदेश द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित रूप के ऐसे कुछ प्रावधान बना सकती है ताकि एन.एफ.एस.ए. की शुरूआत से दो वर्षों के भीतर कठिनाई को हटाया जा सके। ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने योग्य परिवारों की पहचान में राज्यों द्वारा सामना की गई समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। बल्कि,एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत उपलब्ध वृद्धि हेतु किसी प्रावधान के न होने के बावजूद अधिनियम में प्रस्तुत 365 दिनों की समय सीमा में तीन बार वृद्धि की गई थी।

3-5 p;fur jkT;ksa esa dojst

अक्तूबर 2015 तक चयनित लागू करने वाले राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों में एन.एफ.एस.ए. के अनुसार कुल लाभभोगियों के प्रति लाभभोगियों की कवरेज के ब्यौरे निम्न चार्ट में दिए गए हैं :

pkVZ 4 % ykxw djus okys jkT;ksa esa tula[;k dh dojst

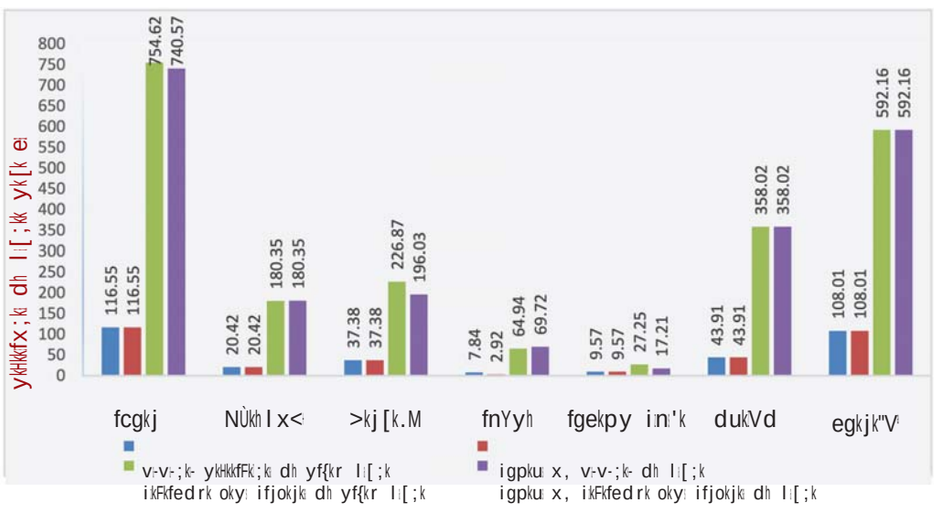

lzksr % ea=ky; dk vfHkys[k

चयनित राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि लाभभोगियों की पहचान एन एस एफ ए के अनुसार नहीं की गई थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया :

fcgkj % राज्य सरकार ने ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान के लिए नई गणना नहीं की बल्कि एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत विद्दमान ए.ए.वाई. परिवार ही शामिल कर लिए। उसने पात्र प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए दिशानिर्देश बनाए जिनमें अन्तर्वेशन और बहिर्वेशन दोनो मापदण्ड शामिल किए गए। यह देखा गया था कि दिशानिर्देशों के अनुसार, उन परिवारों को शामिल नहीं किया जाना था जिनमें केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्थानीय निकाय अथवा स्वायत्त संस्थाओं का नियमित कर्मचारी उसका सदस्य हो। तथापि, लाभभोगियों की कवरेज में कमी को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने दिसम्बर, 2014 में दिशानिर्देश संशोधित किए तथा राज्य सरकार में कार्यरत अ.जा/अ.ज.जा. श्रेणी से नियमित चतुर्थ/घ कर्मचारी को शामिल करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य ने लाभार्थियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे मानदंड को शामिल करने का सहारा लिया होगा।

मंत्रालय ने माना कि राज्यों द्वारा निर्धारित मानदंड राज्यों का विशेषाधिकार था। हालांकि, यद्यपि मानदंड निर्धारित करना राज्यों का विशेषाधिकार था, मंत्रालय द्वारा किसी दिशानिर्देश की अनुपस्थिति में, योग्य लाभार्थियों की संख्या में अंतराल को पूरा करने के लिए तथा एन.एफ.एस.ए. द्वारा निर्धारित कवरेज की सीमा के लिए राज्यों ने अपने मानदंड का सहारा लिया था।

NÙkhlx<+% राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (सी जी एफ एस ए), सितम्बर, 2013 में लागू किया। सी जी एफ एस ए को लागू करने के लिए, राज्य सरकार ने परिकल्पित आवश्यक कार्रवाई की तथा सी जी एफ एस ए की मुख्य विशेषताएं वही थी जो एन.एफ.एस.ए. की थी। राज्य ने उसका अपना मापदण्ड अपनाया तथा एन.एफ.एस.ए. के लागू होने से पहले कार्यान्वन पूरा कर लिया। एन.एफ.एस.ए. की अधिसूचना पर, राज्य ने मंत्रालय को विद्यमान प्रयासों के बारे में बताया तथा मंत्रालय ने उन्हें जनवरी 2014 से एन.एफ.एस.ए. अनुपालित माने जाने की अनुमति प्रदान कर दी।

fnYyh % दिल्ली सरकार ने शुरु में सितंबर 2013 से एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभ देने के लिए बी पी एल, ए.ए.वाई., झुग्गी राशन कार्डों तथा पुनर्वास कॉलोनी राशन कार्डों के अन्तर्गत विद्यमान 6.29 लाख बी.पी.एल.परिवारों से अं.अ.यो. परिवारों के रुप में 1.04 लाख तथा प्राथमिकता परिवारों के रुप में 5.25 लाख परिवारों का चयन किया। दिल्ली सरकार ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पात्र ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान हेतु जुलाई 2013 में दिशानिर्देश अधिसूचित किए। बाद में, वास्तविक पहचान की प्रक्रिया के दौरान, शुरु में पहचाने गए 6.29 लाख में से 2.20 लाख परिवार (0.30 लाख ए.ए.वाई. तथा 1.90 लाख प्राथमिक परिवार) अप्रैल 2014 में हटा दिए गए थे क्योंकि उनमें डुप्लिकेट तथा अपात्र परिवार थे जिसका मतलब था कि राज्य सरकार ने सितम्बर 2013 से मार्च 2014 तक 2.20 लाख अपात्र परिवारों को रियायती खाद्यान्न आपूर्त किए।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹1.00 लाख से कम की कुल वार्षिक आय वाले परिवार, प्राथमिक परिवारों के अन्तर्गत शामिल होने के पात्र थे। यह देखा गया

था कि ₹ एक लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले 1.55 लाख अपात्र परिवारों को, जिन्हें दिल्ली सरकार ने पहले बिना मुहर के ए पी एल कार्ड जारी कर दिए थे, परन्तु टी पी डी एस के अन्तर्गत रियायती खाद्यान्न जारी नहीं किए गए थे, को प्राथमिकता परिवारों के अन्तर्गत शामिल किया गया था। इस प्रकार, ऐसे अपात्र 1.55 लाख परिवारों को एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभ दिया गया।

मंत्रालय ने बताया कि एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत दिल्ली से खाद्यान्नों के मासिक आवंटन को अक्तूबर, 2013 से अक्तूबर, 2014 तक संशोधित किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि आगामी महीनों में आवंटन के प्रति संशोधित आवंटन के आधिक्य में उठाई गई अतिरिक्त मात्रा को समायोजित किया जाएगा।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने लाभार्थियों की संख्या में महत्वपूर्ण भिन्नता पाई जो कि पहचाने गए लाभार्थियों की सूची में निकाले जाने एवं शामिल किए जाने में गलतियों की आशंका का संकेत देता था।

fgekpy izns'k % यद्यपि राज्य सरकार ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पहचान हेतु दिशानिर्देश बनाए थे, तथापि उसने ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए नई गणना नहीं की। उसने विद्यमान बी पी एल,ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों से ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवार लिए। यह भी देखा गया था कि राज्य सरकार ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत 31.06 लाख लाभभोगियों की पहचान की और उन्हें लाभ दिया, तथापि, इस कारण से कि राज्य में लाभभोगियों का अंकीकरण पूरा नहीं किया गया था, मंत्रालय ने राज्य द्वारा शुरु में पहचाने गए 26.78 लाख लाभभोगियों के लिए ही खाद्यान्न जारी किए।

dukZVd % राज्य सरकार ने ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान के लिए नई गणना नहीं की बल्कि एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत विद्यमान ए.ए.वाई. परिवार ही अग्रेनीत किए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने परिवारों की प्राथमिकता परिवारों के रुप में पहचान के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं बनाए परन्तु प्राथमिकता परिवार लाभभोगियों के रुप में अपेक्षित 359.81 लाख के प्रति विद्यमान 403.25 लाख बी पी एल परिवार शामिल कर लिए और इस प्रकार अपने स्रोंतों से अतिरिक्त 43.44 लाख लाभभोगियों को एन.एफ.एस.ए. का लाभ दिया।

यह भी देखा गया था कि राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना (ए बी एस) के नाम से एक योजना आरंभ की, जिसका उद्देश्य जुलाई 2013 से समूचे राज्य के बी पी एल परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस योजना के अन्तर्गत एक व्यक्ति का परिवार 10 कि. ग्रा. चावल, दों व्यक्तियों का परिवार 20 कि. ग्रा. चावल तथा तीन और उससे अधिक लोगों की संख्या का परिवार 30 कि. ग्रा. चावल प्रति माह का पात्र है। एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के पश्चात् भी, राज्य सरकार ने खाद्यान्न जारी करने के उसी पैमाने का अनुसरण जारी रखा जो ए बी एस के अन्तर्गत नियत किया गया था, जो एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत पात्र हकदारी से अधिक था। परिणायतः राज्य सरकार की मांग को पूरा करने के लिए बाज़ार से अधिक खाद्यान खरीदना पड़ा तथा ₹ 2,070.46 करोड़ की सब्सिडी का भार राजकोष को वहन करना पड़ा।

egkjk"V! राज्य सरकार ने नई पहचान जांच शुरु नहीं किया तथा ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए विद्यमान ए.ए.वाई., बी पी एल, ए पी एल कार्ड धारक ही अग्रेनीत किए।

vle% ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान के लिए नई गिनती करने के बजाए, राज्य सरकार ने टी पी डी एस के अन्तर्गत सभी विद्यमान ए.ए.वाई. परिवारों को शामिल करने के अनुदेश जारी किए। 7.04 लाख ए.ए.वाई. परिवारों की अधिकतम सीमा के प्रति, राज्य सरकार ने 6.56 लाख की पहचान की। राज्य सरकार ने प्राथमिकता परिवारों की पहचान हेतु दिशानिर्देश बनाए। राज्य के सितम्बर 2014 तक 252.08 लाख के लक्षित लोग शामिल करने थे परन्तु वे मार्च 2015 तक 249.87 लाख ही शामिल कर सके और इस प्रकार कवरेज में 2.21 लाख की कमी थी।

यह देखा गया था कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक के लिए जनगणना जनसंख्या की 84.17 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड/नगर समिति में 60.35 प्रतिशत की एकरुप दर का लक्ष्य रखा।

पांच नमूना जांच किए गए जिलों में से दो[11] में यह भी देखा गया था कि पहचाने गए पात्र परिवारों को जारी करने के लिए राशन कार्ड बनाते समय, ज़िला प्राधिकारियों ने 41 प्राथमिकता परिवारों के सदस्यों की संख्या बिना कोई कारण बताए 347 से घटाकर 174 कर दी। परिवारों के सदस्यों की कटौती कुल परिवार सदस्यों के प्रति दो से दस सदस्य के बीच थी, यद्यपि आवेदक द्वारा आवेदक पत्र के साथ सभी सदस्यों के विवरण एवं समर्थक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे।

यह देखा गया था कि सोनितपुर ज़िला में, 1656 परिवार जिनमें ए.ए.वाई. के अन्तर्गत अन्तर्वेशन हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 1.00 लाख के निर्धारित स्तर से कम वार्षिक आय वाले चाय सम्पदाओं में कार्यरत 10,170 श्रमिक शामिल थे, जो एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए थे। दो नमूना जांच किए गए जिलों[12] में, यह पता चला था कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इस मापदण्ड के विरुद्ध, कि कोई सरकारी कर्मचारी एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभ का पात्र नहीं होगा, 52 परिवार जिनके सदस्य सरकारी कर्मचारी थे, चुन लिए गए थे। इसके अतिरिक्त, ढुबरी ज़िला में, यह देखा गया था कि 50 ए.ए.वाई. परिवारों की आय चयनित प्राथमिकता परिवारों की आय से अधिक थी जो लाभभोगियों के गलत चुनाव को दर्शाता था।

Ökkj[k.M% अक्तूबर 2014 में, राज्य सरकार ने लाभभोगियों के चयन हेतु एस ई सी सी डॉटा के प्रयोग का निर्णय लिया और मार्च 2015 में उसके चयन हेतु चरणबद्ध क्रियाकलाप निर्धारित किए। राज्य सरकार ने ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए ड्राफ्ट एस ई सी सी 2011 डॉटा के आधार पर अक्तूबर 2015 से एन.एफ.एस.ए. कार्यान्वित किया। इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में विलम्ब हुआ।

mÙkj izns'k% प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए मापदण्ड को अन्तिम रुप देने में विलम्ब हुआ था क्योंकि राज्य सरकार ने मापदण्ड को केवल अक्तूबर 2014 में

[11] सोनितपुर, नागांव

[12] बक्सा, सोनितपुर–

अन्तिम रुप दिया और दिसम्बर 2014 में उसे अधिसूचित किया जिसके पश्चात पहचान हेतु सर्वेक्षण किया गया जो मार्च 2015 तक अधूरा था। राज्य सरकार ने ए.ए.वाई. परिवारों की पहचान के लिए नये सिरे से प्रयास नहीं किया परन्तु ए.ए.वाई. परिवारों के रुप में टी पी डी एस के अन्तर्गत विद्यमान 40.94 लाख ए.ए.वाई. परिवारों को शामिल कर लिया और वो भी किसी सर्वेक्षण/सत्यापन के बिना।

मंत्रालय ने दलील दी कि पहचान के लिए अभ्यास की शुरूआत करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अं.अ.यो. एक चल रही योजना थी तथा अं.अ.यो. परिवारों की संख्या के साथ उनकी पहचान के लिए मानदंड प्रत्येक राज्य के लिए पहले से ही निर्दिष्ट थे। प्राथमिकता परिवारों के लिए, राज्य के पास पहले से ही तत्कालीन टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत बी.पी.एल., अं.अ.यो. तथा ए.पी.एल. परिवारों की जनसंख्या समष्टि शामिल थी। राज्यों से प्राथमिकता परिवारों की पहचान के लिए, इसके लिए निर्धारित संख्या के भीतर दिशानिर्देश/मानदंड विकसित करने की आवश्यकता थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.एफ.एस.ए. की धारा 10 में शब्द 'पहचान' का उपयोग किया गया था जिसका तात्पर्य है कि पहचान की प्रक्रिया आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त, 17 जुलाई 2013 के राज्यों/सं.शा.क्षे. को मंत्रालय के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि नई पहचान की प्रक्रिया की शुरूआत की जानी चाहिए थी।

3-6 igpku x, ifjokjk dk jk'ku dkMZ tkjh djuk

एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रारम्भिक कार्रवाई के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी (17 जुलाई 2013) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा उन परिवारों को जिनकी मुखिया घर की सबसे बड़ी औरत हो, नए राशन कार्ड जारी किए जाने अपेक्षित थे। क्षेत्रीय स्तर पर अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला:

fp= 2% fgekpy izns'k e: ,u ,l ,Q , vuqikyuk d: vuq:i iqjkus dkMZ iqu% tkjh fd, x,

fgekpy izns'k % एन.एफ.एस.ए. अनुपालन की अनुरूपता हेतु प्राथमिकता परिवारों तथा ए.ए.वाई. परिवारों के रुप में 6.9 लाख पुराने राशन कार्डो पर मुहर लगाई गई थी और उन्हें फिर से जारी किया गया जैसा कि यहां दर्शाया गया है।

fcgkj% जारी किए जाने वाले 1.42 करोड़ प्राथमिकता परिवारों के प्रति, राज्य सरकार

द्वारा 5.49 लाख राशन कार्ड वितरित नहीं किए गए थे। नमूना–जांच किए गए ज़िलों में मृत्यु, स्थानान्तरण तथा मुद्रण त्रुटियों के कारण एकल परिवार को दो कार्ड जारी करने से बचने के लिए कार्डों का वितरण रोक दिया गया था।

NŸkh lx<% जनगणना 2011 के अनुसार 29.97 लाख परिवारों की कुल संख्या के प्रति, 38.54 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए थे तथा राशन कार्डों के रद्दीकरण के पश्चात् मई 2015 तक 33.82 लाख राशन कार्ड सक्रिय पाए गए थे। इस प्रकार, 3.84 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड रद्द नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा (मई 2015), में इसे इंगित किए जाने पर राज्य सरकार ने बताया (जून 2015) कि आवेदन की प्राप्ति तथा राशन कार्डों को जारी करने के लिए समय सीमा बहुत कम थी इसलिए सभी आवेदनों का सत्यापन करना संभव नहीं था। इसी कारण, अयोग्य तथा जाली आवेदन की भी प्रविष्टियां की गई थी जिन्हें राशन कार्डों के सत्यापन अभियान के संचालन के पश्चात् रद्द किया गया था।

तथ्य यही है कि उचित सर्वेक्षण एवं सत्यापन के बिना नए राशन कार्डों को जारी किया जाना अनियमित था।

fnYyh% यद्यपि राज्य ने एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत 72.64 लाख लाभभोगियों की पहचान की थी, तथापि प्राथमिकता परिवारों तथा ए.ए.वाई. के अन्तर्गत नए राशन कार्डों से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई और इस प्रकार जारी किए गए राशन कार्डों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।

dukVd% राज्य सरकार ने उनके द्वारा पहचाने गए 445.36 लाख लाभभोगियों के प्रति ए.ए.वाई. तथा प्राथमिकता परिवारों के लिए 113.23 लाख राशन कार्ड जारी किए। जून 2015 तक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ई पी आई सी) विवरण की सीडिंग के दौरान विद्यमान प्रणाली में 8.90 लाख जाली और अपात्र राशन कार्ड पाए गए थे। तथापि, इन जाली तथा अपात्र राशन कार्डों को रद्द करने के बजाए, राज्य सरकार उन पर खाद्यान्न जारी करती रही।

egkjk"V% हिमाचल प्रदेश की तरह, राशन कार्ड की विभिन्न श्रेणीयों के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्डों पर केवल मुहर लगा कर उन्हें दोबारा वैध किया गया था।

vle% राज्य सरकार ने राशन कार्ड जारी करने के लिए मात्र 56.21 लाख परिवारों की मांग के प्रति 59.92 लाख राशन कार्ड मुद्रित करा लिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने जनवरी तथा फरवरी 2014 के दौरान सभी जिलों को आगे वितरित करने के लिए, इस प्रकार 57.09 लाख राशन कार्ड जारी किए तथा शेष अवितरित 2.83 लाख राशन कार्ड मांग का समुचित निर्धारण किए बिना कार्डों के मुद्रण के कारण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय में पड़े हुए थे।

mŸkj izns'k% एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत लाभभोगियों को अन्तिम रुप नहीं दिया गया, और इसलिए कोई नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। तथापि, विद्यमान राशन कार्डों की वैघता एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन तक बढ़ा दी गई थी।

2015 dh ifronu l- 54

3-6-1 jk'ku dkMk e efgyk l'kfädj.k l lcfèkr ikoèkkuk dk dk;kUo;u

महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए,एन.एफ.एस.ए., की धारा 13 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पात्र परिवार में, न्यूनतम 18 वर्ष आयु से अधिक आयु वाली महिला को राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से उसे परिवार के मुखिया के रुप में पहचान की जाएगी। जहां एक परिवार में किसी भी समय कोई महिला, अथवा अठारह वर्ष की उम्र अथवा अधिक की महिला नहीं हे, केवल तभी राशन कार्ड परिवार के पुरुष सदस्य को जारी किया जा सकता है और उन मामलों में भी महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर परिवार की मुखिया बन जाएगी। एन.एफ.एस.ए. के अन्तर्गत राशन कार्डों को व्यक्तियों की संख्या के आधार पर हकदारी नियमों के आधार पर अनुरूपित किया जाना था। क्षेत्रीय स्तर पर अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित बातों का पता चला।

fgekpy in'k में यह देखा गया कि विद्यमान पुराने राशन कार्ड, जिनमें विशेष रुप से परिवार के मुखिया के रुप में घर की सबसे बड़ी महिला की पहचान नहीं की गई थी, जारी किए जा रहे थे।

dukVd में, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 18 वर्ष तथा अधिक की महिला सदस्यो के होने के बावजूद, परिवार के मुखिया के रुप में पुरुष सदस्य के नाम से 21.14 लाख नए तथा आशोधित राशन कार्ड जारी किए। राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि इन परिवारों को नए ऑन लाईन राशन कार्ड जारी करते समय, घर की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा।

vle में, स्थिति वैसी ही थी। यद्यपि परिवारों में महिला सदस्या मौजूद थी, फिर भी 207 राशन कार्ड पुरुष सदस्य के नाम बनाए गए थे। ऐसे मामले भी देखे गए थे जिनमें परिवारों की सबसे बड़ी महिला के अलावा अन्य महिला सदस्य के नाम पर राशन कार्ड बनाए गए थे।

egkjk"V में, एन.एफ.एस.ए. के नए प्रावधानों में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य का पालन नहीं किया गया क्योंकि नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे और विद्यमान कार्डों को पुनर्वैध किया गया था।

मंत्रालय ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि राज्यों का उत्तर के लिए अनुसरण किया जा रहा था तथा यह कि असम ने सूचित किया था कि परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के नाम से राशन कार्ड को तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

3-7 ekrRo ykHkk rFkk vuiijd ik"k.k l lcfèkr ikoèkkuk dk dk;kUo;u

3-7-1 ,u-,Q-,l-,- d vUrxr inYk ekrRo ykHk lep n'k e ugh fn, x,

अधिनियम की धारा 4 (ख) के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गए उक्त योजनाओं के शर्त के अनुसार, प्रत्येक गर्भवती महिला तथा दूध पिलाने वाली मां, केन्द्र सरकार

द्वारा निर्धारित किश्तों में न्यूनतम छः हज़ार रुपए के मातृत्व लाभ की हकदार होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अक्तूबर 2010 से समूचे देश के 53 जिलों में पॉयलट आधार पर गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं (पी एवं एल) महिलाओं के लिए इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई जी एम एस वाई) नामक एक सशर्त नकद अन्तरण योजना चला रहा है।

अधिनियम के कार्यान्वयन के पश्चात, योजना के अन्तर्गत मातृत्व लाभ 5 जुलाई 2013 से ₹ 4,000 से बढ़ा कर ₹ 6,000 कर दिया गया था। तथापि, यह देखा गया कि योजना केवल 53 अग्रणी जिलों में कार्यान्वित की जा रही थी क्योंकि केन्द्र सरकार तथा राज्य/सं. रा. सरकारों के बीच लागत हिस्सेदारी प्रारूप को अन्तिम रुप नहीं दिया गया था।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2015) की आई जी एम एस वाई हेतु लागत हिस्सेदारी वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2015 में तय कर दी गयी थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने आई जी एम एस वाई के देश के सभी जिलों में विस्तार हेतु आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही आरंभ कर दी है।

इस प्रकार मातृत्व लाभ यद्दपि एन.एफ.एस.ए. के माध्यम से अनिवार्य किए गए थे, तथापि, उन्हें देश में गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं तक पहुॅंचाना अभी बाकी था तथा यह कुछ चुनिन्दा ज़िलों में ही उपलब्ध था।

3-7-2 vuqiqjd iks"k.k ¼vkbZ lh Mh ,l ds vUrxZr½ fu;ekoyh 2015

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (1) के अनुसार, छः महीने से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के मामले में निःशुल्क समुचित भोजन, स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र (ए डब्लू सी) के माध्यम से प्रदत कराया जाना था ताकि एन.एफ.एस.ए. में विनिर्दिष्ट पोषण मानकों का पालन किया जा सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, राज्य सरकारों के परामर्श से अनुपरक पोषण (एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत) नियम, 2015 बनाया। तथापि, ए डब्लू सी के लाभभोगियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया जोकि एन.एफ.एस.ए. की धारा 8 के अन्तर्गत आवश्यक था।

fu"d"kZ

जुलाई 2013 में एन.एफ.एस.ए.के प्रभावी होने के ढाई वर्ष पश्चात, केवल 18 राज्य/सं. रा. क्षेत्रों में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन होने की सूचना थी। कई राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों में, यद्दपि, लाभभोगियों की पहचान पूर्णतः पूरी नहीं की गई थी, तथापि, मंत्रालय ने उन्हें खाद्यान्न का संशोधित आबंटन कर दिया था। चूंकि बहुत से राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों ने अपनी तैयारी की स्थिति सूचित नहीं की थी, अतः मंत्रालय ने एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन की समय–सीमा तीन बार बढ़ाई (अक्तूबर 2015)। एन.एफ.एस.ए. में ऐसा प्रावधान न होने के कारण संसद के अनुमोदन के बिना एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन हेतु समय–सीमा का विस्तार अनियमित था। मंत्रालय नीति निर्धारण चरण के दौरान

तथा एन.एफ.एस.ए. के लागू होने के पश्चात् भी राज्यों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा। जिसके कारण कई राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों में कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ।

नमूना–जांच किए गए किसी भी राज्य में लाभभोगियों की पहचान क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक ढ़ंग से नहीं हुई थी। कुछ राज्यों ने अपने पुराने राशन कार्डों पर एन.एफ. एस.ए. अनुपालना के अनुरूप होने की केवल पुनः मोहर लगाई वह भी एन.एफ.एस.ए. में किए गए प्रावधान के अनुसार महिला सशक्तिकरण किए बिना अन्तर्वेशन तथा बहिर्वेशन के त्रुटियों को दूर करने के लिए लाभभोगियों की पहचान एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसे प्राप्त किया जाना था। तथापि, जो राज्यों में प्रभावी रुप से अपनायी गयी थी, वह पुरानी प्रणाली थी, जिसे एन.एफ.एस.ए. अनुपालना के रूप में स्वयं को दिखाने के लिए फिर से संजोया गया था। परिणामतः राज्य सभी जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के एन.एफ.एस.ए. के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं को तैयार करने में असफल रहे। महिला सशक्तिकरण के वांछित औजार को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने हेतु उपयोग करने का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

अनुशंसाएं

i) *राज्य सरकारों की सलाह के साथ मंत्रालय पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लाभार्थियों की पहचान पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करें।*

ii) *मंत्रालय को पारदर्शी प्रक्रियाओं का अनुसरण करके राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा लाभार्थियों को संशोधित बढ़े हुए हकों को स्वीकृत करने से पूर्व उनकी वास्तविक पहचान से स्वयं को आश्वस्त कर लेना चाहिए।*

iii) *चूंकि एन.एफ.एस.ए. में एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए रखी गई समय सीमा में वृद्धि के लिए कोई अधिकृत प्रावधान नहीं है, मंत्रालय को संसद की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए।*